डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल
प्रकरण संख्या– 1/2022 रेवेन्यु
खातु बनाम इटली वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरूः– श्री राकेश कुमार न्योल
व हाजरीः–

श्री गौतमलाल रोत, रमेशचन्द्र रोत मिनजानिब मुदई उपस्थित व मिनजानिब मुदायलाह की ओर अनुपस्थित, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि–

मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का दिनांक 21.01.2013 को संपादित बक्षीसनामा व नामान्तरण को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 02.08.2024 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा चिखली जि. डूंगरपुर

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
चीखली जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्याः— 1/22 निर्णय दिनांक 02.08.2024

1 श्री खातु पिता हिरा डामोर जाति मीणा निवासी पियोला तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. श्रीमती इटली पत्नि काति पिता जवरा डामोर जाति मीणा निवासी सलाखडी तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री कमा पिता रूपा डामोर जाति मीणा निवासी पियोला तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री कानजी पिता मनजी बामणिया निवासी पियोला तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री मान तहसीलदार साहब महोदयजी चीखली तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम
सपठीत धारा 151 जाब्ता दिवानी
उपस्थित :—श्री गौतमलाल रोत, रमेशचन्द्र रोत वादी की ओर से
प्रतिवादी अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही हुई

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव पियोला व प्रतिवादी संख्या 1 गांव सलाखडी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 गांव पियोला के स्थायी निवासी होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पारिवारिक खुन के रिश्ते में सगे पिता—पुत्री है। वादी के अपने कब्जे की विरासती खातेदारी आराजी मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा होकर स्थित है। वादी की पुत्री प्रतिवादी जिसे वादी ने पुत्र संतान नहीं होने से सेवा चाकरी के लिए अपने पास रखा था जो वादी की कॉलम संख्या 2 में अंकित खातेदारी आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने को लेकर खेत दिखाने को लेकर आयी जिस पर वादी ने प्रतिवादी को कहा की मेरी सेवा चाकरी तो तुने की नहीं और अब जमीन लेने क्यो आ गई है। मेरी जमीन है ये तो तु नहीं बेच सकती है। जिस पर प्रतिवादी कहने लगी कि उक्त जमीन रिकॉर्ड में मेरे नाम दर्ज है तो मै किसी को भी बेच सकती हू। जिस पर वादी ने हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो पता चला की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी प्रतिवादीया के नाम दर्ज अंकित है जिस पर पटवारी से मिलकर नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि प्रतिवादी द्वारा वादी को धोखे में रखकर बक्षीसनामा सम्पादित करवा दिया गया है। वादी ने प्रतिवादी को जमीन वापस वादी के नाम दर्ज करने की बात की तो प्रतिवादी नहीं मानी जिससे वाद कारण लगातार पैदा होने लगा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। प्रतिवादी द्वारा वादी को धोखे में रखकर वसीयतनामा दस्तावेज सम्पादित करने बजाय बक्षीसनामा सम्पादित करवा दिया गया है जिस पर वादी ने ऐसा नहीं होने की बात कि तो प्रतिवादी कहने लगी वादी ने प्रतिवादी के नाम बक्षीसनामा सम्पादित कर दिया है। वादी ने कहा कि मेरे द्वारा वसीयत करने की बात की गई ताकि मेरी जीवित अवस्था तक मेरे नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे जिससे मेरे द्वारा जीवित अवस्था में ही प्रतिवादी द्वारा सेवा चाकरी नहीं करने पर फेर बदल किया जाए लेकिन प्रतिवादी व उसके पति द्वारा वादी को धोखे में रखकर बेशकिमती जमीन का बक्षीसनामा करवाकर दिया गया है।

क्रमशः पेज 2 पर

जिसकी जानकारी प्रतिवादी द्वारा वादी का घर छोडकर सेवा चाकरी नहीं करने से परेशानी होने व मौके पर आकर जमीन को बेचान करने की बात करने से विवाद उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी। जो पिता की मृत्यु पर वादी के नाम दर्ज हुई है। जिस पर वादी लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में प्रतिवादी वादी की जीवित होने के बावजुद भी उसकी सेवा चाकरी नहीं कर बेशकिमती जमीन का बेचान कर पैसों को ऐठ रवाना होना चाहती है। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी के पक्ष में विधिविरूद्ध सम्पादित गलत बक्षीसनामा के आधार पर वादी को खातेदारी आराजी मे काश्त करने मे रुकावट, प्रतिवादी न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करे व प्रतिवादी संख्या 4 वादग्रस्त आराजी सम्बन्धि ऐसा कोई दस्तावेज सम्पदित नहीं करे जिससे वादग्रस्त आराजी किसी अन्य के नाम हस्तान्तरित मानी जावे। मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का नियम व विधि विरूद्ध सम्पादित हुए बक्षीसनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा नियम व विधिविरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पादित किया गया बक्षीसनामा वादी के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी वादी के पैतृक विरासती आराजी है जिस पर वादी का जन्म से ही अधिकार निहित है तथा विरासती पैतृक आराजी को वादी द्वारा प्रतिवादी को अपनी सेवा चाकरी करने के भरोसे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वसीयत किया जा रहा था। जिसे वादी को धोखे में रखकर बक्षीस कर दिया गया है। ऐसे में प्रतिवादी द्वारा मिलीभगत करने व बहला फुसलाकर अपने नाम विधि व नियमविरूद्ध बक्षीसनामा सम्पादित करवा दिया। जो प्रारम्भ से गलत होने से शुन्य व प्रभावहीन है। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिस पर न्यायालय द्वारा इंतजार करने पर भी अनुस्थित रहने पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कार्यवाही एकपक्षीय लायी गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। जिस पर तनकियात कायम की गई।

1 आया वादी मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा होकर स्थित है।

जिम्मे वादी

2 आया वादी के पुत्र संतान नहीं होने से बसीयतनामा संपादित किया जाना था। लेकिन बक्षीसनामा संपादित किया है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सेवा चाकरी नहीं करने से दुसरी जगह बेचान करने की अधिकारी नहीं है।

जिम्मे वादी

3 आया वादी की भुमि का बक्षीस को शुन्य एवं प्रभावहीन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

जिम्मे वादी

4 आया वादी की भुमि को प्रतिवादीगण द्वारा बेचने से वादी उसे रोकने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

कमशः पेज 3 पर

5 आया वादी का बक्षीसनामा भुमि का हक दिलाने का अधिकारणी है।
जिम्मे वादी

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री खातु पिता हिरा डामोर निवासी पियोला
2 पीडब्लयु–2– श्री शंकर पिता भेमा भमात निवासी पियेाला

1 प्रदर्श–1 दस्तावेज बक्षीसनामा
2 प्रदर्श–2 सेटलमेंट नकल
3 प्रदर्श–3 खतोनी

उक्त बयानो पीडब्लयु–1 व 2 में वादीगण ने बताया कि प्रतिवादी द्वारा वादी को घोखे में रखकर वसीयतनामा दस्तावेज सम्पादित करने बजाय बक्षीसनामा सम्पादित करवा दिया गया है जिस पर वादी ने ऐसा नहीं होने की बात कि तो प्रतिवादी कहने लगी वादी ने प्रतिवादी के नाम बक्षीसनामा सम्पादित कर दिया है। वादी ने कहा कि मेरे द्वारा वसीयत करने की बात की गई ताकि मेरी जीवित अवस्था तक मेरे नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे जिससे मेरे द्वारा जीवित अवस्था में ही प्रतिवादी द्वारा सेवा चाकरी नहीं करने पर फेर बदल किया जाए लेकिन प्रतिवादी व उसके पति द्वारा वादी को घोखे में रखकर बेशकिमती जमीन का बक्षीसनामा करवाकर दिया गया है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी द्वारा वादी का घर छोडकर सेवा चाकरी नहीं करने से परेशानी होने व मौके पर आकर जमीन को बेचान करने की बात करने से विवाद उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी। जो पिता की मृत्यु पर वादी के नाम दर्ज हुई है। जिस पर वादी लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में प्रतिवादी वादी की जीवित होने के बावजुद भी उसकी सेवा चाकरी नहीं कर बेशकिमती जमीन का बेचान कर पैसों को ऐठ रवाना होना चाहती है। मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का नियम व विधि विरूद्ध सम्पादित हुए बक्षीसनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा नियम व विधिविरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पादित किया गया बक्षीसनामा वादी के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है। व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की प्रतिवादी द्वारा वादी को घोखे में रखकर वसीयतनामा दस्तावेज सम्पादित करने बजाय बक्षीसनामा सम्पादित करवा दिया गया है जिस पर वादी ने ऐसा नहीं होने की बात कि तो प्रतिवादी कहने लगी वादी ने प्रतिवादी के नाम बक्षीसनामा सम्पादित कर दिया है। वादी ने कहा कि मेरे द्वारा वसीयत करने की बात की गई ताकि मेरी जीवित अवस्था तक मेरे नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहे जिससे मेरे द्वारा जीवित अवस्था में ही प्रतिवादी द्वारा सेवा चाकरी नहीं करने पर फेर बदल किया जाए लेकिन प्रतिवादी व उसके पति द्वारा वादी को घोखे में रखकर बेशकिमती जमीन का बक्षीसनामा करवाकर दिया गया है। जिसकी जानकारी प्रतिवादी द्वारा वादी का घर छोडकर सेवा चाकरी नहीं करने से परेशानी होने व मौके पर आकर जमीन को बेचान करने की बात करने से विवाद उत्पन्न हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी। जो पिता की मृत्यु पर वादी के नाम दर्ज हुई है।

क्रमशः पेज 4 पर

जिस पर वादी लगातार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में प्रतिवादी वादी की जीवित होने के बावजुद भी उसकी सेवा चाकरी नहीं कर बेशकिमती जमीन का बेचान कर पैसों को ऐठ रवाना होना चाहती है। मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का नियम व विधि विरूद्ध सम्पादित हुए बक्षीसनामा को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा नियम व विधिविरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पादित किया गया बक्षीसनामा वादी के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाना आवश्यक है। व वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 3 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा में वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का दिनांक 21.01.2013 को संपादित बक्षीसनामा व नामान्तरण को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पियोला के खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 114, 139, 140, 147, 154 खेत किता 5 कुल रकबा 51.08 बीघा में से मेरा 1/5 हिस्सा का दिनांक 21.01.2013 को संपादित बक्षीसनामा व नामान्तरण को शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी ...लवाडा
[illegible]

आदेश आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी ...लवाडा
[illegible]